वर्ष : 32 ▸ अंक : 358 ▸ पृष्ठ : 8 ▸ मुंबई, गुरुवार, 14 मार्च 2024 ▸ RNI: MAHHIN/49994/91 ▸ मूल्य : 3 रुपए ▸ epaper.dobajedopahar.com ▸ संपादक : अरुण लाल

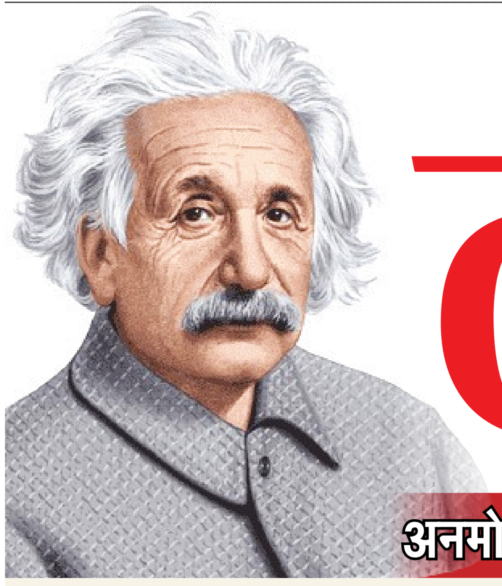

दो बजे दोपहर

मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, नासिक, पुणे से एक साथ प्रकाशित

पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है

अनमोल विचार नजरिए की कमजोरी चरित्र की कमजोरी बन जाती है : अल्बर्ट आइंस्टीन

रूस रेलवे लाइन के जरिए मुंबई से जुड़ेगा

एजेंसी | नई दिल्ली

मॉस्को। रूस-यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से यूरोप के साथ रूस का व्या8पार कम हो गया है। ऐसे में मॉस्को ने भारत, चीन और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ ट्रेड बढ़ाया है। अब रूस ऐसे इनफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है, जिससे उसकी पश्चिमी देशों पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो सके। रिपोर्ट के मुताबिक, इसका सबसे बड़ा हिस्सा है 14 हजार करोड़ का 165 किमी लंबा रेलमार्ग जो रूस को ईरान के पोर्ट से जोड़ेगा। इससे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे रूसी शहरों से मुंबई पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। रूस इस प्रोजेक्ट के लिए ईरान को करीब 11 हजार करोड़ का कर्ज भी दे रहा है।

मुंबई में गोपाल शेट्टी और मनोज कोटक का कटा पत्ता

पीयूष गोयल और मिहिर कोटेचा बने बीजेपी के उम्मीदवार ● बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की

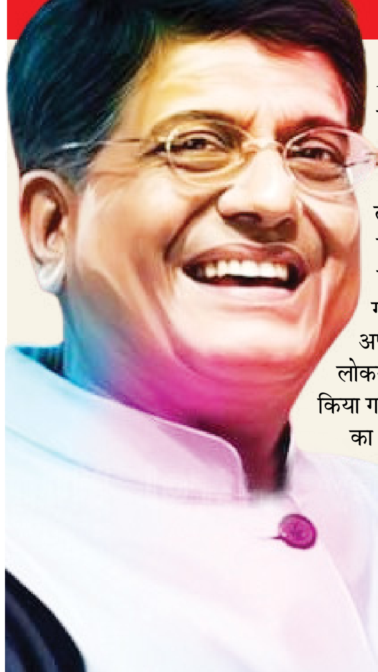

अमित बृज | मुंबई

लोक सभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों की दूसरी सूची में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए 72 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। इस लिस्ट में भाजपा की तरफ से मुंबई के दो सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। मुंबई उत्तर और मुंबई उत्तर पूर्व सीट पर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का नाम घोषित किया गया है। वहीं मुंबई उत्तर पूर्व सीट पर मिहिर कोटेचा के नाम का ऐलान हुआ है। आपको बता दें कि यह दोनों ही नए नाम हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि उत्तर मुंबई सीट से मौजूदा सांसद गोपाल शेट्टी का पता कट हो गया है। वहीं मुंबई की उत्तर पूर्व सीट से मनोज कोटक सांसद थे। बीजेपी ने उन पर भरोसा नहीं जताया जबकि मिहिर कोटेचा को उम्मीदवारी दी गई है।

मौजूदा सांसदों को नहीं मिली उम्मीदवारी

काफी समय से मुंबई की छह लोकसभा सीट पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा का इंतजार किया जा रहा था। खबर यह भी थी कि बीजेपी की तरफ से मौजूदा सांसदों को उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा और बीजेपी की तरफ से मुंबई के लिए जारी किए गए दो नाम की घोषणा के साथ यह साफ हो गया है कि बीजेपी मौजूदा सांसदों पर भरोसा नहीं कर रही है।

गोपाल शेट्टी का कटा पत्ता

गोपाल शेट्टी पहली बार 2014 में सांसद बने थे। उन्होंने संजय निरुपम को मात दी थी। वहीं 2019 में वह दोबारा सांसद बने इस समय कांग्रेस की तरफ से उनके सामने उर्मिला मातोंडकर चुनौती पेश कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार गोपाल शेट्टी पर भरोसा नहीं जताया और उनकी जगह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को मौका दिया गया है। पीयूष गोयल इससे पहले राज्यसभा सांसद थे।

मनोज कोटक को नहीं मिला मौका : मनोज कोटक के बारे में भी यह चर्चा थी कि भाजपा उनके अलावा किसी और के नाम की घोषणा कर सकती है और भाजपा द्वारा उम्मीदवारों की सूची जारी करते ही यह साफ हो गया है कि भाजपा ने मिहिर कोटेचा पर अपना भरोसा जताया है और मनोज कोटक का पता साफ हो गया है।

महाराष्ट्र में बीजेपी ने दिग्गजों को मैदान में उतारा

बीजेपी ने अहमदनगर से सुजय विखे पाटिल, पुणे से मुरलीधर मोहोल, मुम्बई उत्तर पूर्व से मिहिर कोटेचा, भिवंडी से कपिल पाटिल,जालना से राव साहब दानवे, चंद्रपुर से सुधीर मुनगंटीवार,रावेर से रक्षा खडसे,जलगांव से स्मिता वाघ, धुले से सुहास भामरे,बीड से पंकजा मुंडे को टिकट मिला है। बहन प्रीतम मुंडे की जगह पंकजा मुंडे को इस बार टिकट मिला है। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगुंटीवार को चंद्रपुर से टिकट मिला है। रावेर से रक्षा खडसे को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। रक्षा खडसे एकनाथ खडसे की बहू हैं।

नागपुर से नितिन गडकरी

बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 72 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के अनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र की नागपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। नितिन गडकरी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में लगातार इस सीट से जीत हासिल की थी। इस सीट से साल 2019 में गडकरी ने कांग्रेस के नाना पटोले को हराया था।

न्यूज़ ब्रीफ

लावारिस गौवंश समेत जानवरों के संरक्षण पर महाराष्ट्र पशु कल्याण बोर्ड-सिडको को फटकार

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने लावारिस गौवंश संरक्षण को लेकर शहर और औद्योगिक विकास महामंडल (सिडको) और महाराष्ट्र पशु कल्याण बोर्ड को फटकार लगाई। अदालत ने सिडको से पूछा कि लावारिस गौवंश समेत जानवरों के लिए गौशाला (शेल्टर) की क्या व्यवस्था है? अदालत की मॉनिटरिंग कमेटी ने रिपोर्ट दिया है कि नवी मुंबई में लावारिस गौवंश समेत जानवरों के लिए कोई शेल्टर नहीं है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को गोवंश रक्षण संवर्धन संस्था (गोवर्धन गोशाला) की ओर से वकील सिद्ध विद्या की दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

100 आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र की शुरुआत

मुंबई। विद्यार्थियों के लिए 100 आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र शुरू किए गए हैं। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कौशल विकास केंद्रों के ऑनलाइन उद्घाटन के मौके पर कहा कि अगले तीन महीने में राज्य के 1000 महाविद्यालयों में कौशल विकास केंद्र शुरू कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी किसी भी विषय में डिग्री ले रहे हों साथ में उन्हें कौशल विकास केंद्रों के जरिए प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए। इससे रोजगार की संभावना बढ़ जाएगी। उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई शिक्षा नीति लाए हैं, जिसके कार्यान्वयन से देश में व्यापक बदलाव आएंगे। राज्य की भी अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए मानव संसाधन विकास पर जोर दिया जा रहा है।

चुनाव के पहले फैसलों की झड़ी

अहमदनगर हुआ 'अहिल्या नगर', 8 स्टेशनों के भी बदले गए नाम

दीपक पवार | मुंबई

चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले महाराष्ट्र सरकार ने कई बड़े फैसले कर डाले। महाराष्ट्र कैबिनेट ने मुंबई उपनगरीय रेलवे के आठ रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। वहीं अहमदनगर जिले का नाम अहिल्या देवी नगर रख दिया गया है। इससे पहले औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा गया था। इसके साथ ही मंत्रालय में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के नेम प्लेट भी बदल दिया गया।

महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में फैसला

लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में आज महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक हुई। दो दिन पहले भी महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक हुई थी। सोमवार की बैठक में 33 फैसलों की झड़ी के बाद आज बुधवार की बैठक में 26 फैसले लिए गए। तीन दिनों में हुई दो कैबिनेट बैठकों में कुल 59 फैसले लिए गए। फैसलों में अहमदनगर शहर का नाम बदलना, पुणे जिले के वेल्हे तालुका का नाम राजगढ़ करना, मुंबई में आठ रेलवे स्टेशनों को ब्रिटिश नामों में बदलना, उत्तान से विरार सी लिंक को मंजूरी देना शामिल है। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन सरकार ने कई सालों से रुकी हुई परियोजनाओं और प्रस्तावों को शुरू करने का प्रयास किया है।

आठ रेलवे स्टेशन के नाम बदलने के प्रस्ताव : जिन आठ स्टेशन के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है, वे मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे द्वारा संचालित मुंबई के उपनगरीय नेटवर्क की पश्चिमी, मध्य और हार्बर लाइन पर स्थित हैं। प्रस्ताव के अनुसार, करी रोड स्टेशन का नाम बदलकर लालबाग, सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन का नाम डोंगरी रखा जाएगा, जबकि मरीन लाइन्स स्टेशन का नाम बदलकर मुंबादेवी, चर्नी रोड का नाम गिरगांव, कॉटन ग्रीन स्टेशन का कालाचौकी, डॉकयार्ड रोड स्टेशन का मझगांव और किंग्स सर्कल का नाम तीर्थंकर पार्श्वनाथ किया जाएगा।

अहमदनगर का नाम बदलकर किया गया अहिल्या नगर : महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम अब बदल गया है। इसे जिले को अब अहिल्या नगर के नाम से जाना जाएगा। योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर यह नामकरण किया गया है। नाम बदले का प्रस्ताव जिला प्रशासन की ओर से भेजा गया था, जिसे आज महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अहमदनगर महाराष्ट्र का ऐसा तीसरा जिला है, जिसका नाम बदला गया है। इससे पहले उस्मानाबाद और औरंगाबाद का नाम भी बदला जा चुका है। अहिल्याबाई होलकर को मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए भी जाना जाता है। काशी के विश्वनाथ मंदिर समेत देश के कई मशहूर मंदिरों का उन्होंने अपने दौर में निर्माण कराया था।

नयी मराठी भाषा नीति की घोषणा : नयी मराठी भाषा नीति का उद्देश्य चैटजीपीटी जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग करके मराठी की विभिन्न बोलियों के संरक्षण और प्रचार के लिए कदम उठाना भी है। नीति का उद्देश्य न केवल शिक्षा के लिए, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी मराठी को बढ़ावा देना, संरक्षित करना और विकसित करना है इसका उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और चिकित्सा सहित विभिन्न धाराओं में उच्च शिक्षा को मराठी भाषा में उपलब्ध कराकर मराठी को ज्ञान अर्जन और रोजगार की भाषा के रूप में स्थापित करना है।

आशा वर्कर को बड़ी सौगात, वेतन में हुई बढ़ोतरी

काफी दिनों से धरने पर बैठे आशा वर्कर्स को महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। उनके मासिक वेतन में 5,000 रुपये की वृद्धि की गई है।

महाराष्ट्र भवन बनाने के लिए जमीन खरीदने की मंजूरी

महाराष्ट्र कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में महाराष्ट्र भवन बनाने के लिए 2 .5 एकड़ जमीन खरीदने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए बजट प्रस्ताव महाराष्ट्र विधानसभा के पिछले बजट सत्र में राज्य के बजट में पहले ही किया जा चुका था।

// महाराष्ट्र कैबिनेट ने इन फैसलों पर भी लगाई मुहर //

- पुलिस अधिकारियों के वेतन में पर्याप्त वृद्धि, अब 15 हजार रुपये प्रति माह मिलेगा।
- केंद्र की मदद से छोटे शहरों में अग्निशमन सेवा को मजबूत करना, 153 करोड़ स्वीकृत।
- कोल्हापुर और सांगली जिले में बाढ़ नियंत्रण के लिए विश्व बैंक का वित्तपोषण, 3200 करोड़ का प्रोजेक्ट।
- पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के अंतर्गत 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।
- महानंद परियोजना की स्थिति सुधारेंगे।
- मंगलवेढ़ा उपसा सिंचाई योजना को मंजूरी, 35 गांवों को फायदा होगा।
- मुर्तिजापुर में वडगांव भंडारण टैंक की मरम्मत करना, 125 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।
- शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना में सब्सिडी में बढ़ोतरी, अब संस्थाओं को 25 हजार रुपये का अनुदान।
- मानसेवी चिकित्सा शिक्षकों का पारिश्रमिक बढ़ाया गया।
- आईटीआई से संविदा कला निदेशकों को नियमित सरकारी सेवा में भर्ती किया जाएगा।
- कृषि चैनलों को सोलराइज करने के लिए AIIB बैंक से 9020 करोड़ रुपये लिए जाएंगे।
- किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए बिजली वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना, 11 हजार 585 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर।
- पशुपालन और डेयरी विकास विभाग का एकीकरण कर पुनर्गठन किया गया है, प्रशासन में सुधार होगा।
- पुणे जिले के वेल्हे तालुका का नाम राजगढ़ करने को मंजूरी।
- म्हासला तालुका में सरकारी यूनानी कॉलेज और अस्पताल शुरू किया जाएगा, यूनानी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना।
- मुंबई उपनगरों में यातायात अधिक खुला रहेगा, उत्तान से विरार सी ब्रिज मार्ग को मंजूरी।
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 23 हजार KM सड़कें बनेंगी, इस वर्ष दस हजार KM सड़कें बनेगी।
- अधिभोग मूल्य की मात्रा कम हो जाएगी।
- महाराष्ट्र अकादमी और गोवा वकील परिषद के लिए कलवा में सरकारी भूमि।
- जालना खामगांव नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन, 2453 करोड़ की स्वीकृति।
- पशुपालन आयुक्त को दूध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता जांच करने का अधिकार।

जाति उत्पीड़न से जुड़े केस की वीडियो रिकार्डिंग अनिवार्य

▸▸ बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

धीरज सिंह | मुंबई

बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जाति उत्पीड़न (एट्रोसिटी) से जुड़े मामले की सुनवाई करने वाली सभी अदालतों को वीडियो रिकॉर्डिंग(वीआर) की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कानून के तहत वीआर की सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। लिहाजा वह शीघ्रता से ऐसे मामलों की सुनवाई करने वाले सभी कोर्ट को यह सुविधा उपलब्ध कराए। अब भले ही एट्रोसिटी से जुड़े केस की सुनवाई ओपन कोर्ट में चलेगी, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य होगा। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि जिन अदालतों में अभी यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, वे बिना विडियों रिकार्डिंग के सुनवाई को जारी रख सकती है। खासकर जब किसी आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता दाव पर लगी हो। कोर्ट का यह फैसला भावी प्रभाव (प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट) से लागू होगा।

'विक्टिम के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जरूरी'

कोर्ट ने यह फैसला नायर अस्पताल की मेडिकल स्टूडेंट पायल तडवी की आत्महत्या से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान वीआर के मुद्दे का समाधान करते हुए सुनाया है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सारंग कोतवाल की बेंच ने साफ किया कि एट्रोसिटी एक्ट की धारा 15 (ए 10) से जुड़े अपराध की विडियो रिकार्डिंग कोई मार्गदर्शक तत्व (डायरेक्टरी) नहीं बाध्यकारी है। अनुसूचित जाति और जनजाति(अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम के अर्तगत इस धारा के तहत अदालत में चलने वाली कार्यवाही को न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा। विक्टिम और गवाहों के अधिकारों से जुड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए रिकॉर्डिंग की व्यवस्था आवश्यक है। एट्रोसिटी अधिनियम के अंतर्गत बेल की सुनवाई को भी न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा। फैसले के बाद राज्य के महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ ने कहा कि मौजूदा मामला समाज कल्याण और हित से जुड़ा है। इसलिए सरकार शीघ्रता से विडियों रिकॉर्डिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाएगी।

क्या है तडवी केस : 2019 में तडवी का आत्महत्या का मामले सामने आया था। तडवी ने कथित रूप से जातिसूचक टिप्पणी से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में अस्पताल को तीन डॉक्टरों हेमा अहूजा,अंकिता खंडेलवाल और भक्ति मेहरे को गिरफ्तार किया गया था। तीनों आरोपी फिलहाल ज़मानत पर है। ज़मानत पर सुनवाई के दौरान यह प्रश्न उपस्थिति हुआ था कि एट्रोसिटी के केस के किस पड़ाव पर विडियो रिकॉर्डिंग की जाए। क्या यह अनिवार्य है। इन तमाम प्रश्नों के उत्तर के लिए मामले को बड़ी बेंच के सामने रेफर किया गया था।

फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद

लखनऊ। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को 33 वर्ष 3 महीने 9 दिन पुराने गाजीपुर के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उम्रकैद की सजा काट रहा अंतरराज्यीय गिरोह (आईएस-191) का सरगना और माफिया मुख्तार को आठवीं बार सजा हुई है। वाराणसी में विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत ने बुधवार को मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई। इस दौरान मुख्तार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। इसी अदालत ने ही 5 जून 2023 को अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मुख्तार को अब तक सात मामलों में सजा मिल चुकी है। आठवें मामले में दोषी करार दिया गया है।

आज होगी 'सुप्रीम' सुनवाई

▸▸ शरद पवार की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

दोपहर संवाददाता | मुंबई

शरद पवार की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शरद पवार के गुट ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस संबंध में 19 फरवरी को सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि शरद पवार को उनकी अर्जी के 7 दिन के अंदर पार्टी का सिंबल दिया जाए। इसके बाद 22 फरवरी को शरद पवार को चुनाव चिन्ह दे दिया गया। दोनों गुटों के बीच विवाद के बाद चुनाव आयोग ने 6 फरवरी को अजित पवार गुट को पार्टी और सिंबल दे दिया था।

बॉम्बे हाई कोर्ट में भी सुनवाई : वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और शरद पवार के एनसीपी गुट के 10 विधायकों को अयोग्य न ठहराने के स्पीकर के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 14 मार्च को मामले की सुनवाई करेगी। अभी भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और शरद पवार वाली गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने को लेकर शरद पवार और भतीजे अजित पवार में तनाव बना हुआ है। हालांकि, एनसीपी का नाम और चुनाव चिह्न अजित के पाले में चला गया, लेकिन विधायकों को अयोग्य घोषित करने वाली मांग पूरी नहीं हुई।

दोपहर

यदि आपको **दो बजे दोपहर** अख़बार में विज्ञापन देना हो तो संपर्क करें

9892161162

मौसम

	तापमान	नमी
मुंबई	32.0-26.0	47%

सूर्यास्त गुरुवार 06:48 बजे
सूर्योदय शुक्रवार 06:46 बजे

इलेक्टोरल बॉन्ड मामला

SBI का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

एजेंसी | नई दिल्ली

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के चेयरमैन दिनेश कुमार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल की। इसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च के निर्देश के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी उपलब्ध जानकारी चुनाव आयोग को दे दी गई है। SBI चेयरमैन ने कहा- हमने ECI को पेन ड्राइव में दो फाइलें दी हैं। एक फाइल में बॉन्ड खरीदने वालों की डिटेल्स हैं। इसमें बॉन्ड खरीदने की तारीख और रकम का जिक्र है। दूसरी फाइल में बॉन्ड इनकैश करने वाले राजनीतिक दलों की जानकारी है। लिफाफे में 2 PDF फाइल भी हैं। ये PDF फाइल पेन ड्राइव में भी रखी गई हैं, इन्हें खोलने के लिए जो पासवर्ड है, वो भी लिफाफे में दिया गया है।

पार्टियों ने 22,030 बॉन्ड का पैसा कराया कैश

SBI के हलफनामे के अनुसार, एक अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 22 हजार 217 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 22,030 बॉन्ड का पैसा राजनीतिक पार्टियों ने कैश करा लिया है। पार्टियों ने 15 दिन की वैलिडिटी के भीतर 187 बॉन्ड को कैश नहीं किया, उसकी रकम प्रधानमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर कर दी गई।

2019 से 2024 तक खरीदे गए 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड